न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किरम मुकदमा	दर्ज दिनांक
27 / 18	एफएसएस एक्ट, 2006	08 / 01 / 2018

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर

—आवेदक

बनाम

1. अवतार नारायण पुत्र श्री गजानन्द अग्रवाल उम्र 50 वर्ष जाति महाजन निवासी हीरालाल मील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (विकेता एव फर्म मालिक)मैसर्स अवतार मेडीकल हॉल ,हीरालाल मील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
2. नवनीत मित्तल पुत्र महेश चन्द्र मित्तल (फर्म मालिक) निवारी जी–2, डी –163 शूचिता अपार्टमेन्ट, सावित्री पथ, बापू बाजार जयपुर मैसर्स एम.के.डिस्ट्रीब्यूटर ए–2 श्री जी कॉम्पलेक्स, विवेक विहार , बजाज नगर जयपुर 302015
3. मैसर्स एम.के.डिस्ट्रीब्यूटर ए–2 श्री जी कॉम्पलेक्स, विवेक विहार , बजाज नगर जयपुर 302015
4. अश्वनि महेश्वरी पुत्र लक्ष्मी नारायण महेश्वरी (फर्म मालिक) मैसर्स टेनेट हैल्थ केयर 596, कैलाश पथ , देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर ,जयपुर प्रथम
5. मैसर्स टेनेट हैल्थ केयर 596, कैलाश पथ , देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर ,जयपुर प्रथम
6. भानूशाली तृप्ति बेन किशोर भाई निवास 11 सोहम बंग्लो कडी करणनगर रोड तालुका कडी जिला महसाना गुजरात (भागीदार) मैसर्स नेनसी फॉरमूलेशन 29 / 30 / 31 शुभ लाभ एस्टेट मधुसुदन सेरेमिक के सामने, कडी जिला महसाना (गुजरात)
7. भानूशाली तृप्ति बेन किशोर भाई निवास 11 सोहम बंग्लो कडी करणनगर रोड तालुका कडी जिला महसाना गुजरात (भागीदार) मैसर्स नेनसी फॉरमूलेशन 29 / 30 / 31 शुभ लाभ एस्टेट मधुसुदन सेरेमिक के सामने, कडी जिला महसाना (गुजरात)
8. पटेल सुरेन्द्र कुमार रमनलाल निवास वाराही मातानो वास सरणव गांव तालुका जिला गांधीनगर (गुजरात) मैसर्स नेनसी फॉरमूलेशन 29 / 30 / 31 शुभ लाभ एस्टेट मधुसुदन सेरेमिक के सामने, कडी जिला महसाना (गुजरात)

—अभियुक्तगण

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

निर्णय   दिनांकः– 23.07.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 19 / 09 / 2017 को 03:30 पी.एम पर अवतार नारायण पुत्र श्री गजानन्द अग्रवाल उम्र 510 वर्ष जाति महाजन निवासी हीरालाल मील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स अवतार मेडीकल हॉल ,हीरालाल मील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर उपस्थित था को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन / खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति दिखाई। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Instant Energy Booster (Tannu-z)** 105 ग्राम के 40 पैकेट दुकान में रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विकेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] **Instant Energy Booster (Tannu-z)** 105 ग्राम के 16 पैकिट्स वास्ते नमूना जांच हेतु [illegible] कर राशि 160 / – रू0 नगदी चुकाकार रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित [illegible] के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ पदार्थ इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर **(Tannu-z)** 105 ग्राम के 16 पैकिट्स को चार बराबर बराबर भागो मे रखकर मेरे द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक.एक लेबल चिपकायाए प्रत्येक नमूना भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:49:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एम 1019 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व पेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़करए सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता अवतार नारायण पुत्र गजानन्द अग्रवाल ने भी पढ़करए समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नंण 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं० 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम [illegible] बॉय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/73 दिनांक 11.01.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपॉट सं. 194/एफएसएसएल /कोटा/एक्ट/2016/443 दिनांक 26.12. 2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर **(Tannu-z)** मिसब्राण्ड **(Miss Branded)** पाया गया हैं। जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।अभियुक्तो ने मिसब्राण्ड ; मिस–ब्रांडेड) खाद्य पदार्थ नस्टेंट एनर्जी बूस्टर (तन्नू–ज़) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (आईआई) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण 1 लगायत 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित एवं अभियुक्त 6 लगायत 8 की और से नोमिनी उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण 1 लगायत 8 द्वारा खाद्य पदार्थ इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर **(Tannu-z)** मिसब्राण्ड **(Miss Branded)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम जुर्माना से दण्डित किया जावें, जिससे आमजन को भविष्य में सुरक्षित खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके।

अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदन का मद सं0 2 जिस प्रकार तहरीर किया है। अस्वीकार है। आवेदक ने खाद्य सुरक्षा औ मानक अधिनियम 2006 की धारा 38 (5) में उल्लेखित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया। आवेदक ने धारा 38 (5) में उल्लेखित प्रकिया का पालना भी नहीं किया, न ही कोई तालाखी वांरट अभियुक्त संख्या 1 को दिखाया, ना ही कार्यवाही करते समय धारा 38 (7) के अनुसार किसी स्वतंत्र व्यक्ति को बुलाया , ना ही किसी स्वतंत्र व्यक्ति के समक्ष कोई कार्यवाही की। खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के नियम 2:4:1 के अनुसार दो स्वतंत्र व्यक्तियों को कार्यवाही के समय बुलाना आवश्यक है। फार्म 5ए पर जो विटनेस के रूप में दस्तखत दिखाये गये है ऐसा कोई व्यक्ति मौके पर मौजूद नही था ये दस्खत वाद में बनाये गये है। आवेदक ने अभियुक्त को महज हैरान व परेशान करने की गरज से यह कार्यवाही की है जो निरस्त होने योग्य है। आवेदक द्वारा लिया गया नमूना खाद्य सुरक्षा अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता है। यह एक औषधिय उत्पाद है। जिसका नमूना लेने का कोई अधिकार आवेदक को नहीं है, साथ ही अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने उक्त कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:49:46 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली मे संलग्न खाद्य विश्लेषक [illegible] जांच रिपॉट सं. 194/एफएसएसएल /कोटा/एक्ट/2016/443 दिनांक 26[illegible] विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर **(Tannu-z)** मिसब्राण्ड **(Miss Branded)** पाया गया हैं। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं0 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से तीस हजार रूपये व अभियुक्त सं0 6 लगायत 8 को संयुक्त रूप से 50,000 (पचास हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...23.07.2025 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:49:46 IST
Reason: SelfAttested